सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12/2

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00010

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 08/2019

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री जगदीशराय पुत्र श्री बाबूराम जिंदल (नमूना विक्रेता एवं मालिक)
   मै0 जिंदल इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं–06, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, रायसिंहनगर
   निवासी, नं–06, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26 धारा (2)(5)/58

निर्णय **दिनांक : 25.03.2019**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.10.2018 को दोपहर बाद 4.00 बजे श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर के वास्ते निरीक्षण फर्म **मै0** जिंदल इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं–06, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर पहुचे। वहां पर श्री जगदीशराय पुत्र बाबूराम जिंदल उपस्थित मिला। निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर दुकान का निरीक्षण किया तो उपरोक्त दुकान के अन्दर गोदाम में **35Kg Haldi Powder (Loose)** युक्त 85 प्लास्टिक कट्टे आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मिलावट का शक होने पर नमूना जांच **के–938** के नमूनीकरण के लिए एक मुंह खुले कट्टे **2Kg Haldi Powder (Loose)** खरीदी जिसकी कीमत 200/–रूपये (अखरे दौ सौ रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री राकेश सचदेवा एवं श्री प्रवीण कुमार मिगलानी के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **Haldi Powder (Loose)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो मै0 जिंदल इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं–06, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, रायसिंहनगर ,जिला श्रीगंगानगर के किराना स्टोर में **Haldi Powder (Loose)** दुकान

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के अन्दर गोदाम में 35Kg **Haldi Powder (Loose)** युक्त 85 प्लास्टिक कट्टे आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए थे। जिसमें से खरीद शुदा 2.00Kg **Haldi Powder (Loose)** को बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक बोतलो में भरकर चार नमूना भाग बनाए एवं ढक्कन बंद कर उन पर टेप चिपकाई। चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **के–938** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **के–938** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। नमूनीकरण के पश्चात शेष बचे **Haldi Powder (Loose)** को नियमानुसार जब्त कर नमूना विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2027/एक्ट/2018/682 दिनांक 31.12.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–938 Haldi Powder (Loose) अमानक स्तर** Contravene Regulation No.2.3.14(15) oF **Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulaation 2011 because it sold in Loose condition.** खाद्य पदार्थ होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त जगदीशराय पुत्र श्री बाबूराम जिंदल **मै0**, जिंदल इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं–06, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Haldi Powder (Loose)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 धारा 26 धारा (2)(5)/58** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 11.03.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त श्री जगदीशराय पुत्र श्री बाबूराम जिंदल (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Haldi Powder (Loose)**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार Contravene Regulation No.2.3.14(15) oF **Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulaation 2011 because it sold in Loose condition** पाया गया है। अप्रार्थी की दुकान में जिस हल्दी पाउडर का नमूना लिया गया था उस समय हमारे पास पैंकिग सामग्री उपलब्ध नहीं होने की गलती है व मैं गलती स्वीकार करता हूँ। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा व आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Haldi Powder (Loose)** का सैम्पल के–938 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2027/ एक्ट/2018/682 दिनांक 31.12.2018 द्वारा Contravene Regulation No.2.3.14(15) oF **Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulaation 2011 because it sold in Loose condition** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 26 धारा (2)(5)/58** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Haldi Powder (Loode)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार Contravene Regulation No.2.3.14(15) oF **Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulaation 2011 because it sold in Loose condition** पाया गया है। अप्रार्थी की दुकान में जिस हल्दी पाउडर का नमूना लिया गया था उस समय हमारे पास पैंकिग सामग्री उपलब्ध नहीं होने की गलती है व मैं गलती स्वीकार करता हूँ। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा व आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 26 की उपधारा 2 (5) का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **Haldi Powder (Loose)** विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(1) की श्रैणी में आता है। अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्तों जगदीशराय पुत्र श्री बाबूराम जिंदल (नमूना विक्रेता एवं सांझेदार) पर Contravene Regulation No.2.3.14(15) oF **Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulaation 2011 because it sold in Loose condition Haldi Powder (Loose)** विक्रय करने पर धारा 26**(2)(5)/58** के तहत संयुक्त रूप से शास्त्रि 20000/–रूपये (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Haldi Powder (Loose)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर